

जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 11.11.2022

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 11.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 30.10.2022 को कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग के साथ छेडछाड करने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिल तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कांधला को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.आकाश पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम हुरमजपुर थाना कांधला जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना झिंझाना से गौकशी एवं थाना कैराना से गैंगस्टर के मामले मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद।

आज दिनांक 11.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये वांछित/वारंटी/गैंगस्टर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर थाना झिंझाना से गौंकशी एवं थाना कैराना से गैंगस्टर के मामले मे वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.इकबाल पुत्र लीलू उर्फ यासीन निवासी ग्राम जीजोला थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगीः-

1.एक तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

- 1.मु0अ0सं0 324/03 धारा 489बी भादवि थाना झिझाना जनपद शामली।
- 2.मु०अ०सं० २४७/१४ धारा ३८०,४११,३५३,२२४,२२५,५०४ भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 249/18 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4.मु०अ०सं० ४६७/२२ धारा ३/५क/८ गौवध अधिनियम भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 5.मु०अ०सं० ४९५/२०२२ धारा २/३ गैंगस्टर अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा थाना झिंझाना से गौकशी एवं थाना कैराना से गैंगस्टर के मामले मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद।

आज दिनांक 11.11.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए गये वांछित/वारंटी/गैंगस्टर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर थाना झिंझाना से गौंकशी एवं थाना कैराना से गैंगस्टर के मामले मे वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.इकबाल पुत्र लीलू उर्फ यासीन निवासी ग्राम जीजोला थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगीः-

1.एक तमंचा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

- 1.मु0अ0सं0 324/03 धारा 489बी भादवि थाना झिझाना जनपद शामली।
- 2.मु०अ०सं० २४७/१४ धारा ३८०,४११,३५३,२२४,२२५,५०४ भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 249/18 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4.म्0अ0सं0 467/22 धारा 3/5क/8 गौवध अधिनियम भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 5.मु0अ0सं0 495/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्व शामली पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में गम्भीर प्रकृति के 24 मुकदमों हत्या, गैंगस्टर, लूट, फिरौती में लिप्त अभियुक्त आकाश जाट को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी 03 वर्ष के कारावास की सजा एवं 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड के संबंध में।

अवगत कराना है कि मु0अ0सं0 167/2015 धारा 147,148,149,307,504 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली में अभियुक्त आकाश जाट के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा धारा 82 सीआरपीसी की उद्धघोषणा के उपरान्त भी अभियुक्त जानबूझकर मा0 न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। मा0 न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर अभियुक्त आकाश जाट पुत्र शौकिन्द्र निवासी मौहल्ला नन्दुप्रसादं थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 506/2015 धारा 174ए भादवि पंजीकृत किया गया था। इस दौरान शामली पुलिस द्वारा उक्त मामले में प्रभावी पैरवी एवं गवाहों को समय से कोर्ट में उपस्थित कराया गया था। जिसके क्रम में शामली पुलिस की निरंतर एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम शामली, द्वारा आज दिनांक 11.11.2022 को अभियुक्त आकाश जाट उपरोक्त को विचारणोपरान्त दोषी पाते हुए धारा 174ए भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है

नाम व पता अभियुक्तः-

1.आकाश जाट पुत्र शौकिन्द्र निवासी मौहल्ला नन्दुप्रसादं थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में महिलाओं से संबंधित अपराध में प्रभावी कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस के निर्देशन में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में एक माह में प्रभावी पैरवी के चलते अपराधी को मा0 न्यायालय कैराना द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा एवं 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत भी किया गया।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.उस्मान पुत्र नासिर उर्फ निसार निवासी मौहल्ला खैलकलां थाना कैराना जनपद शामली।

अवगत हो कि इससे पूर्व भी पोक्सो एक्ट से संबंधित मुकदमों में शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर सजा कराई गई है।

- 1. दिनांक 25.07.2022 को मु0अ0सं0 87/2022 धारा 354 भादिव व 7/8 पौक्सो एक्ट थाना गढीपुख्ता पर अभियुक्त अशिफ पुत्र रहीश निवासी गढीअब्दुल्ला खां थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरुद्ध पंजीकृत होकर शामली पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा 0 न्यायालय एडीजे स्पेशल पौक्सो कोर्ट कैराना द्वारा दोषी पाते हुए दिनांक 02.09.2022 को धारा 354 भादिव मे 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये व 7/8 पौक्सो एक्ट मे 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त कारावस की सजा सुनाई गई है।
- 2. दिनांक 09.07.2022 को थाना आदर्शमण्डी पर मु0अ0सं0 132/2022 धारा 452, 354ए, 354बी, 323, 504 भादिव व 7/8 पोक्सो एक्ट में पंजीकृत कराया गया था जिसकी प्रभावी पैरवी करते हुए एक माह में मा 0 न्यायालय एडीजे स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने विचारोणोपरान्त अभियुक्त किशोर पुत्र राममेहर निवासी मौहल्ला प्रतापनगर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली को दोषी पाते हुए दिनांक 08.11.2022 धारा 452 भादिव में 04 वर्ष का कठोर कारावास, 354 भादिव में 03 वर्ष का कारावास, 504 भादिव में 01 वर्ष का कारावास व 506 भादिव में 01 वर्ष का कारावास व धारा 7/8 पौक्सो एक्ट में 04 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।